कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Phone No. – **E-Mail ID – cmho.dantewada@gmail.com**

क्रमांक / 6413 / मु.चि.अ. / डीएमएफ / भर्ती / 2025 दन्तेवाड़ा / दिनांक 18 / 11 / 2025

––:: संविदा भर्ती संक्षिप्त विज्ञप्ति ::––
(वर्चुअल इन्टरव्यू)

कलेक्टर महोदय, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त जिला खनिज न्यास निधी (डीएमएफ) मद से स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संचालित जिला चिकित्सालय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालन हेतु 02 चिकित्सा विशेषज्ञों के पद पर संविदा अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों के लिए संक्षिप्त विज्ञप्ति (वर्चुवल इन्टरव्यू) के माध्यम से चयन किया जाना है।

क्रं.	पदनाम	संख्या	मानदेय राशि (प्रतिमाह)	रिमार्क
1.	निश्चेतना विशेषज्ञ	01	3,00,000 / – (नेगोशियेबल)	एम.डी. / डी.एन.बी. / In MBBS Course and Post Graduation (MD) Course in Anesthesia CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो तो प्रमाण पत्र
2.	जनरल सर्जन	01	3,00,000 / – (नेगोशियेबल)	एम.एस. / डी.एन.बी. / In Surgery CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो तो प्रमाण पत्र

1. सक्षिप्त विज्ञप्ति जारी तिथि :– 18 / 11 / 2025
2. आवेदन भरने की अंतिम तिथि :– 22 / 11 / 2025 दिन शनिवार प्रातः 10.00 बजे तक
3. वर्चुअल इन्टरव्यू तिथि :– 22 / 11 / 2025 दिन शनिवार प्रातः 11.00 बजे से
4. अभ्यार्थी इस लिंक के माध्यम से :– https://forms.gle/rLHsmCkeu9rueAxQ6
5. अपनी योग्यता संबंधि विवरण अपलोड की सकेंगें।

(नोटः– आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय एवं वर्चुअल लिंक आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा, अभ्यार्थी आवेदन भरते समय व्हाट्सप मोबाईल नम्बर देगें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
2. परिस्थिति वश आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कर्मी या वृद्धि अथवा विज्ञापन का पूर्णतः/आंशिक निरस्त किया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
4. अभ्यार्थीओं को चयन पश्चात उपस्थिति के बाद तीन माह के अन्दर छत्तीसगढ़ मेडिकल कांउसिल पंजीयन जमा करना अनिवार्य है।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी समय एक माह पूर्ण नोटिस नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को देकर छत्तीसगढ़ (शासकीय एवं अर्ध स्थाई) नियम 60 के नियम 12 के अन्तर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है। तथा एक माह सूचना दिये बगैर वेतन जो एक माह नोटिस की अवधि से कम नहीं हो देना होगा।
6. संविदा नियुक्ति हेतु चिकित्सा अधिकारीयों हेतु मानदेय प्रतिमाह एकमुश्त वेतन चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए राशिः– 3,00,000/–(शब्दों मेंः– तीन लाख रूपये मात्र) की पात्रता होगी। मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. संविदा नियुक्ति के पश्चात् छः माह का अनुबंध भरना होगा। अन्यथा 5,00,000/– (शब्दों मेंः– पांच लाख रूपये) की वूसली की जावेगी।
8. सेवा समाप्ति के बाद अभ्यार्थी को किसी प्रकार की पेंशन भत्ता व अन्य राशि नहीं दी जावेगी।
9. किसी भी शासकीय/अर्द्वशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये ब्लेक लिस्ट अथवा कार्य क्षमता पूर्वक नही करने के कारण सेवा वृद्वि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।
10. शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपना नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन से संलग्न करना अनिवार्य है।
11. कार्य असंतोषजनक व कदाचार में लिप्त पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
12. संविदा नियुक्ति के पश्चात् राज्य शासन के नियमित पदों पर कोई दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
13. सेवा अवधि के दौरान सेवा अवधि की समाप्ति पश्चात किसी प्रकार से दावा आपत्ति की पात्रता नहीं होगी।
14. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नियुक्ति कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना– जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसे पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के स्थांनांतरण के हकदार नहीं होगें।
16. नेगोशिएबल मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि/सी.आर.एम.सी. की राशि देय नही होगी।
17. शासकीय एंव अर्द्वशासकीय संस्थान में संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव को ही मान्य किया जायेगा।
18. चयन समिति के अध्यक्ष एंव समिति के सदस्यों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
19. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन कलेक्टर महोदय जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा अनुमोदन उपरान्त गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किया जावेगा।
20. अभ्यार्थियो द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण– पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
21. अवकाश एवं अन्य सुविधायें संविदा नियम वर्ष 2012 के नियमों के अनुरूप दी जावेगा।

Chief Medical & Health Officer
Distt. Dakshin Bastar Dantewada (C.G.)